

न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकरी, लोहरदगा।
(नीलाम पत्र शाखा)

वाद संख्या 13/11-12, टी0आर0 न0 127/20-21

कार्यपालक अभियंता विद्युत, लोहरदगा :- अधियाची विभाग
बनाम
मो0 मिहीउद्दीन खान, ग्राम-नियर मस्जिद पावरगंज लोहरदगा,
पो0+थाना-लोहरदगा, जिला-लोहरदगा देनदार

आदेश

14/6/20
यह नीलाम पत्र वाद कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति
प्रमण्डल, लोहरदगा द्वारा देनदार मो0 मिहीउद्दीन खान, पिता-शून्य,
ग्राम-नियर मस्जिद पावरगंज लोहरदगा, पो0+थाना-लोहरदगा,
जिला-लोहरदगा पर बिजली विपत्र/बिल राशि भुगतान नहीं करने पर
मो0 20349/- (बीस हजार तीन सौ उन्नचास) रुपये पर नीलाम पत्र
वाद दायर करने हेतु धारा 5 के अन्तर्गत समर्पित किया है।

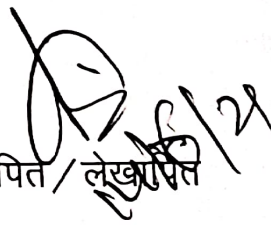
धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन समर्पित करने के पश्चात
नीलाम पत्र वाद धारा 7 के अन्तर्गत दिनांक 18.04.11 को नोटिस निर्गत
किया गया। जिस पर तामिला कर्ता द्वारा नोटिस पर स्पष्ट रूप से
लिखा गया कि देनदार के पिता के नाम अंकित/दर्ज नहीं होने के
कारण तामिला नहीं हो पाया। इसके पश्चात् भी पत्रांक 122, दिनांक
05.12.16, पत्रांक 149, दिनांक 20.12.16, पत्रांक 13, दिनांक 11.01.17,
पत्रांक 76, दिनांक 15.09.17, पत्रांक 90, दिनांक 14.10.17, पत्रांक 10,
दिनांक 10.01.18 से भी नोटिस तामिला हेतु भेजा गया साथ ही इसकी
प्रति विद्युत अर्थात् अधियाची विभाग को भी भेजा गया जिसमें वाद
तामिला नहीं होने की स्थिति में अधियाची विभाग कार्यपालक अभियंता
विद्युत विभाग को कार्यालय पत्रांक 53, दिनांक 16.02.18 के द्वारा पिता
का नाम एवं स्पष्ट पता उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।

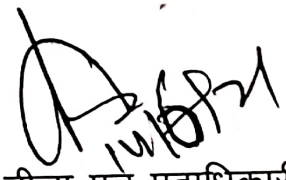
यह वाद इस न्यायालय में दिनांक 10.12.2020 के द्वारा
हस्तान्तरण के पश्चात् पत्रांक 90, दिनांक 24.12.2020 के द्वारा अंतिम



रूप से पुनः नोटिस निर्गत किया गया। तामिला प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पत्रांक 89, दिनांक 08.02.2021 एवं पत्रांक 222, दिनांक 24.03.2021 द्वारा स्मारित किया स्मारित करने के पश्चात भी अधियाची विभाग का कोई प्रतिवेदन अनुपालन नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि इस वाद में अधियाची विभाग को कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद को चलाना व्यर्थ का समय गवाना है।

अतः उपरोक्त स्थिति को देखते हुए धारा 53 (2) के अन्तर्गत वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति कार्यपालक अभियंता विद्युत, लोहरदगा को भेजें।


सत्यापित/लेखापित


जिला नीला पत्र पदाधिकारी,
लोहरदगा